भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3058

11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

एनएफएसए और पीडीएस

3058. श्री सी. एन. अन्नादुरई:

श्री जी. सेल्वम:

श्री नवसकनी के.:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का आकलन किया है कि तमिलनाडु में बेघर व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा लाभ का किस सीमा तक लाभ उठा पा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राशन कार्ड, निवास प्रमाण की अनुपस्थिति या परिवहन बाधाओं के परिणामस्वरूप राज्य के प्रमुख शहरी केंद्रों में बेघर और प्रवासी आबादी को पीडीएस कवरेज से बाहर रखा जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रियायती खाद्यान्न तक नियमित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष या अस्थायी श्रेणियों के अंतर्गत बेघर व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें नामांकित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में पीडीएस कवरेज प्रदान किए गए बेघर लाभार्थियों की संख्या, यदि कोई हो, कितनी है; और

(ड.) राज्य में भूख और खाद्य असुरक्षा के समाधान के लिए सरलीकृत पहचान, सामुदायिक रसोइयों या विशेष वितरण तंत्र के माध्यम से बेघर और निराश्रित व्यक्तियों तक पीडीएस लाभों का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ङ): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार शासित होती है। टीपीडीएस का प्रचालन केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के अंतर्गत लाभार्थियों को चिह्नित करने और उनके राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है।

...2/-

तमिलनाडु सरकार ने बेघर व्यक्तियों की कवरेज के संबंध में निम्नलिखित विशेष उपाय किए जाने की सूचना दी है:

(i) नए पारिवारिक कार्ड जारी करने के लिए संबंधित विभाग से बेघर लोगों की सूची प्राप्त की जाती है।

(ii) जिन परिवारों ने अभी तक आधार कार्ड नहीं लिया है, उनके लिए आवश्यकता के आधार पर विशेष शिविर आयोजित किए जाते हैं।

(iii) ऐसे परिवारों को आधार संख्या प्राप्त करने हेतु सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके आधार पर उन्हें परिवार कार्ड जारी किए जाते हैं।

(iv) फील्ड अधिकारियों के माध्यम से सड़कों/प्लेटफार्मों पर रहने वाले बेघर और बेसहारा व्यक्तियों को चिह्नित करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया।

(v) बेघर लोगों को 91 नए पारिवारिक कार्ड जारी किए गए।

(vi) तमिलनाडु में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (ओएनओआरसी योजना) के तहत राशन कार्ड अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी अक्टूबर 2020 से चालू है।

(vii) तमिलनाडु में अन्न उनावगम नामक सामुदायिक रसोईघर संचालित किए जाते हैं, ताकि समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अत्यंत रियायती दर पर पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

(viii) महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित सामुदायिक रसोईघर सभी गरीब लोगों को बिना किसी पहचान पत्र के पका हुआ भोजन उपलब्ध कराते हैं।

*****